

पिता-स्व० सिकुर पाड़ेया
ग्राम-डोबरोसाई
थाना-मुफ्फसिल जिला-पश्चिमी सिंहभूम
चाईबासा ने मौजा-तमाड़बाँध

दिनांक
26/11/2020

अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक शान्तियाल पाड़ेया, पिता-स्व० सिकुर पाड़ेया ग्राम-डोबरोसाई, थाना- मुफ्फसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-तमाड़बाँध थाना नं०- 125, खाता न०- 151, प्लॉट न०- 778, रकवा 19 डी० 35 वर्गकड़ी भूमि क्रेता गोपाल सिंह अल्डा, पिता-स्व० जानकी अल्डा, ग्राम-तमाड़बाँध, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किए गए। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता एवं अन्य के नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक के पिता के मृत्यु के पश्चात् आपसी बँटवारा का हिस्सा में मिला हुआ भूमि है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1154, दिनांक 18.11.2020 के द्वारा प्राप्त है। मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता गोपाल सिंह अल्डा, पिता-स्व० जानकी अल्डा, ग्राम-तमाड़बाँध, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास 24,80,000.00/- (चौबीस लाख अस्सी हजार) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदित प्लॉट में शेष भूमि 3.00 एकड़ से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुन्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता शान्तियाल पाड़ेया, पिता-स्व० सिकुर पाड़ेया ग्राम-डोबरोसाई, थाना मुफ्फसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाड़बाँध थाना नं०- 125, खाता न०- 151, प्लॉट न०- 778, रकवा 19 डी० 35 वर्गकड़ी भूमि को क्रेता गोपाल सिंह अल्डा, पिता-स्व० जानकी अल्डा, ग्राम-तमाड़बाँध, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा जिला- पश्चिमी सिंहभूम के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।